पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जून, 2011 ई0 (ज्येष्ठ 14, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–23

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	227–232	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	127–128	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	19–22	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

18 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 1020/XX(1)/188/सी0बी0आई0 जांच/2010–दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946) की धारा 6 के प्राविधानों के अनुसार, उत्तराखण्ड के राज्यपाल, एतद्द्वारा श्री विशाल मंगल, राधिका कुंज ऑफिसर कॉलोनी, कैनाल रोड, तिकोनिया, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल के दिनांक 11–8–2010 को अपहरण के क्रम में पुलिस थाना हल्द्वानी में दर्ज मु0अ0सं0–364/2010, अन्तर्गत धारा 364(ए) भा0द0वि0, राज्य बनाम अज्ञात के अन्वेषण तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुए या संबंधित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध (अपराधों) के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के विस्तार के लिए अन्वेषण की सहमति प्रदान करते हैं।

उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश तथा उनकी ओर से,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव, गृह।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1020/XX(1)/188/C.B.I./2010, Dehradun,** dated February 18, 2011 for general information :

NOTIFICATION

February 18, 2011

No. 1020/XX(1)/188/C.B.I./2010--In pursuance of the provisions of section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Governor of Uttarakhand is pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttarakhand for investigation of Crime No. 364/2010, registered at Police Station Haldwani, District Nainital, Uttarakhand under section 364-A of the I.P.C., State Vs. unknown, related to kidnapping of Shri Vishal Mangal, Radhika Kunj, Canal Road, Tikonia, Haldwani, District Nainital, or abetment and conspiracy in relation thereto or in connection with the aforesaid offence and any other offence/offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

By Order and in the name of The Governor of Uttarakhand,

RAJEEV GUPTA,
Principal Secretary, Home.

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

22 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 352/VII–1/11/1 रिट/2008–रिट याचिका संख्या–3 (एस0बी0)/2008, एस0एल0 पैट्रिक बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22–12–2010 के अनुपालन में दिनांक 17–2–2011 को आयोजित विभागीय पदोन्नति चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में श्री एस0एल0 पैट्रिक, खान अधिकारी को भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून के अन्तर्गत ज्येष्ठ खान अधिकारी के पद पर वेतनमान रु0 15600–39100, ग्रेड वेतन रु0 6600 में दिनोक 8–1–2008 से निदर्श पदोन्नति एवं तात्कालिक प्रभाव से उक्त पद एवं वेतनमान में नियमित पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त निदर्श पदोन्नति के फलस्वरूप श्री पैट्रिक को केवल वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त होगा एवं उन्हें किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा।

3–ज्येष्ठ खान अधिकारी के रूप में श्री पैट्रिक की तैनाती मुख्यालय, देहरादून में होगी। श्री पैट्रिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

15 मार्च, 2011 ई0

संख्या 309 / XXX / –1–2011–31(2) / 06–श्रीमती इन्दिरा आशीष, (एच0जे0एस0) जिला जज देहरादून के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किये जाने हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 02–02–2011 एवं महानिबन्धक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 724 / UHC/XIV/21/Admin.A/Nainital/दिनांक 19–02–2001 के द्वारा की गयी संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–2 (दो से चार) के नियम–56(घ) में प्राविधानित तीन माह की नोटिस की अवधि को शिथिल करते हुए श्रीमती इन्दिरा आशीष, (एच0जे0एस0) जिला जज, देहरादून को तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

28 मार्च, 2011 ई0

संख्या 504 / VII–1–11 / 81–उद्योग / 2004–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक प्रबन्धक, उद्योग / सांख्यिकीय सहायक, वेतन बैंड–2, रु0 9,300–34,800, ग्रेड वेतन रु0 4200 / – के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993, जो उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में किये गये संशोधनों के साथ यथा प्रवृत्त है, के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार चयन वर्ष 2009–10 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष सहायक निदेशक, उद्योग / प्रभारी महाप्रबन्धक / प्रबन्धक के पद पर वेतन बैंड–3, रु0 15,600–39,100, ग्रेड वेतन रु0 5400 / – में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1–श्री एस0के0 अग्निहोत्री

2–श्री एस0बी0 बहुगुणा

3–श्री एन0एस0 कर्णवाल

4–श्री आर0एस0 यादव

5–श्री ए0के0 पाण्डे

6–श्री वाई0सी0 पाण्डे

7–श्री विमल चन्द्र चौधरी

8–श्री मनमोहन सिंह

2–उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून के कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

विज्ञप्ति

13 अप्रैल, 2011 ई0

संख्या 1392/वि0स0/25/अधि0/2001–विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या–949/वि0स0/25/अधि0/2001, दिनांक 27 जुलाई, 2007 द्वारा जन–सम्पर्क अधिकारी के निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त श्री विनोद सिंह रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कॉलेज, मठाली, पौड़ी गढ़वाल को उनकी प्रार्थना पर दिनांक 13–04–2011 के अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

विज्ञप्ति/नियुक्ति

13 अप्रैल, 2011 ई0

संख्या 1396/वि0स0/25/अधि0/2001–कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1159(1)/वि0स0/03/अधि0/2000, दिनांक 15 मई, 2002 द्वारा वेतनमान 15,600–39,100, ग्रेड वेतन 5400 में सृजित जन–सम्पर्क अधिकारी के एक निःसंवर्गीय अस्थायी रिक्त पद के सापेक्ष श्री विजय चौहान पुत्र श्री के0एस0 चौहान, 29 चन्द्रनगर, देहरादून को मा0 नेता प्रतिपक्ष के साथ दिनांक 14 अप्रैल, 2011 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि जो भी बाद में हो, से तदर्थ रूप से नियुक्त किया जाता है।

श्री विजय चौहान की उपर्युक्त नियुक्ति 'को टर्मिनस विद द ऑफिस' होगी, जो मा0 नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा के वर्तमान पदधारक के कार्यकाल अथवा उनकी इच्छा तक, जो भी पहले हो, तक ही रहेगी।

श्री विजय चौहान को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/–

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

विज्ञप्ति/नियुक्ति

23 मार्च, 2011 ई0

संख्या 153/XXVIII–2–2011–92/2006–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत अपर निदेशक वेतनमान वेतन बैण्ड–4, सदृश वेतन बैण्ड/वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 8900 के पद पर कार्यरत रहे डा0 यशवन्त सिंह बिष्ट (सेवानिवृत्त) अपर निदेशक को मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–200 (एस0बी0)/2009, डा0 यशवन्त सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05–10–2010 के समादर में निदेशक के पद पर प्रोन्नति विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या–488/XXVIII–2–2008–92/2006, दिनांक 14 जुलाई, 2008 को अनारक्षित श्रेणी के पद के विरुद्ध क्रमांक–1 पर अंकित अपर निदेशक की प्रोन्नति को

निरस्त करते हुये उसके स्थान पर डा0 यशवन्त सिंह बिष्ट (सेवानिवृत्त), अपर निदेशक को उक्त तिथि (दिनांक 14–07–2008) से निदेशक के अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद के विरुद्ध वेतनमान वेतन बैण्ड–4, सदृश वेतन बैण्ड/वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड पे ₹ 10,000 में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या–488/XXVIII–2–2008–92/2006, दिनांक 14 जुलाई, 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3–उक्त आदेश रिट याचिका संख्या–200 (एस0बी0)/2009 डा0 यशवन्त सिंह बिष्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05–10–2010 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–5202/2011 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम डा0 यशवन्त सिंह बिष्ट व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4

अधिसूचना

01 अप्रैल, 2011 ई0

संख्या 175/XXIV–4/2011–1(3)/2010–राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (संशोधन) विनियम, 2011

1–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (संशोधन) विनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2–विनियम 1 का संशोधन–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009, जिन्हें यहां आगे मूल विनियम कहा गया है, के स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान अध्याय–दो के विनियम 1 के उपविनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(3) संस्था प्रधानों को छोड़कर समूह–ग के सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पदों पर सीधी भर्ती हेतु (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो तथा अभ्यर्थी के लिए उत्तराखण्ड राज्य की परम्पराओं एवं रीतियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में नियुक्ति के लिये उपयुक्त होना वांछनीय होगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों, यदि वे सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आवेदन करते हैं, तो उनके लिये सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण आवश्यक नहीं होगा।"

3–व्यावृत्ति–

उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 24 के अधीन बनाए गए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 एतद्द्वारा धारा 18 के अधीन बनाए गए विनियम समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
सचिव।

ऊर्जा विभाग

विज्ञप्ति / नियुक्ति

27 अप्रैल, 2011 ई0

संख्या 741 / I / 2011–02(3)20 / 2003–विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36, 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के चयन हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री जगमोहन लाल को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो तक के लिए रु0 80,000.00 प्रतिमाह वेतन में नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त वेतन में महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना संख्या : 385 / I / 2006–02(2) / 10 / 02, दिनांक 7–3–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत देय होंगे।

(2) श्री जगमोहन लाल को योगदान करने की तिथि से उक्त वेतन में से पेंशन राशिकरण से पूर्व निर्धारित पेंशन को घटाकर आने वाली धनराशि वेतन के रूप में देय होगी तथा उन्हें विकल्प होगा कि वह पेंशन अथवा वेतन में से किसी एक पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट / 273–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जून, 2011 ई0 (ज्येष्ठ 14, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

18 अप्रैल, 2011 ई0

पत्रांक 183 / आयु0क0उत्तरा0 / सहायता केन्द्र / फार्म / 11–12 / वाणिज्य कर / दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के नियम–30 के उपनियम–13 के अन्तर्गत विज्ञापित किया जाता है कि नियम–26 के उपनियम–3 में निर्धारित "आयात के लिए घोषणा पत्र" (प्ररूप–16) सीरीज U.K.VAT-K2010 (क्रमांक 1500001 से 2500000 तक) इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे और तब तक प्रचलन में रहेंगे जब तक वे इस कार्यालय की किसी विज्ञप्ति के द्वारा अवैध अथवा अप्रचलित घोषित न कर दिये जायें। उक्त सीरीज एवं क्रमांक के प्ररूप–16 जांच चौकियों पर इसकी उपरोक्त वैधता एवं प्रचलन की अवधि में स्वीकार किये जाते रहेंगे।

सीरीज U.K.VAT-B2009 एवं U.K.VAT-D2009 के प्ररूप–16 प्रचलन में बने रहेंगे, जब तक कि इनको अप्रचलित घोषित न कर दिया जाये।

U.K.VAT-K2010 सीरीज (क्रमांक 1500001 से 2500000 तक) के फार्म–16 80GSM के मैपलिथो पेपर पर मुद्रित हैं। इनकी बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग हल्के White Cream तथा प्रत्येक प्रति के ऊपर हल्के आसमानी रंग में गोलाकार बने हुए हैं। मूल प्रति 15 से0मी0 द्वितीय प्रति 15 से0मी0 एवं प्रतिपर्ण प्रति 12 से0मी0 कुल तीन प्रतियों में 42 से0मी0 × 29.07 से0मी0 के साईज में छापा गया है। प्रत्येक प्रति के ऊपरी हिस्से पर नारंगी कलर में उत्तराखण्ड शासन का लोगो बना है। फार्म की मूल प्रति के ऊपर दाहिने तरफ चार वर्टिकल बाक्स बनाये गये हैं तथा इनमें 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया है। कर निर्धारण कार्यालय का कोड अंकित करने के लिए मूल प्रति के नीचे दाहिने तरफ क्रमशः 0 से 9 एवं 0 से 9 तक ऐसे बाक्स बनाये गये हैं जिनमें क्रमशः 0 से 9 तथा 0 से 9 तक के क्रमांक अंकित हैं तथा इनके दाहिनी तरफ एक–एक स्टार बनाये गये हैं। इसकी बैक ग्राउण्ड में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड मुद्रित है। प्रत्येक प्रति के मध्य में बैक ग्राउण्ड में उत्तराखण्ड शासन की सील सर्किल में मुद्रित है।

प्ररूप–16 के प्रिंटिंग में निम्नलिखित सिक्योरिटी फीचर्स डाले गये हैं :–

1–फार्मों की Anti Photocopier Printing तथा Fiber in Background है।

2–फार्मों के प्रत्येक प्रति के ऊपर मध्य में उत्तराखण्ड लोगो की **Invisible Ink in Printing** है जो अल्ट्रावालेट किरणों से प्रकाशमान होगा।

3–फार्मों में उत्तराखण्ड लोगो की **Florescent Special Ink in Printing** है जो एन्टीफोटोकापियर है।

4–फार्मों में **Invisible U.V. Fiber** डाले गये हैं, जो अल्ट्रावालेट किरणों से प्रकाशमान होगा।

5–फार्मों की **Guilloche Pattern** में बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग है।

6–फार्मों में **Thermo Chromic Ink** का भी प्रयोग किया गया है, जो अल्ट्रावालेट किरणों से प्रकाशमान होगा।

7–फार्मों में **Height Band Invisible** एवं **Micro Text** प्रिंटिंग की गयी है तथा फार्म के ऊपरी तथा नीचे के भाग में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड की बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग हल्के क्रीम कलर में की गयी है तथा मध्य वाले भाग में हल्के आसमानी रंग में की गयी है।

राधा रतूड़ी,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/273–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जून, 2011 ई0 (ज्येष्ठ 14, 1933 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा

23 अक्टूबर, 2010 ई0

तहबाजारी उपविधि

पत्रांक 1285 / 30–1 / नियमावली / 2010–11–दिनांक 23 अक्टूबर, 2010–उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा ने अपनी सीमा में नियत तहबाजारी हेतु उपविधि बनायी है। जिसे नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (2) के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।

उपविधियां

यह उपनियम तहबाजारी उपविधि, 2010 नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा कहलायेगी।

यह उपनियम सरकारी गजट उपविधि में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू समझा जायेगा तथा इससे पूर्व के नियम को खंडित समझा जायेगा। यह सम्पूर्ण नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होगा।

1–कोई व्यक्ति नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा की सीमान्तर्गत किसी सार्वजनिक सड़क, स्थान या अन्य ऐसी अचल सम्पत्ति को जिसका प्रबन्ध नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा किया जाता है या नगर पालिका परिषद् के प्रबन्ध में सौंपा गया है व नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा की सम्पूर्ण सीमा में लागू होगा।

2–इन उपनियमों के अन्तर्गत शुल्क प्राप्तकर्ता छपी प्रारूप अनुसार एम0सी0 / पत्रांक न0वी0 / 100 में एक रसीद और प्रतिपूर्ण भरेगा, निम्न कूपन अनुसार शुल्क देने वाले व्यक्ति को देगा तथा दैनिक आय का प्रभागी प्रोग्रसिव योग इस कार्य के लिए निर्धारित स्थान पर लिख देगा। समय बीत जाने पर किसी रसीद को न तो अगले दिन दोबारा प्रयोग में लाया जायेगा और न इसे आगे के लिये बढ़ाया जायेगा।

3–रसीद प्राप्तकर्ता नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के किसी कर्मचारी अथवा अधिशासी अधिकारी / राजस्व निरीक्षक एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के मांगने पर अपनी रसीद उसे दिखलायेगा। ऐसा अधिकारी आवश्यक निरीक्षण के पश्चात् कूपन भरेगा और उसे प्रतिपर्ण के साथ मिलान करके रसीद प्राप्तकर्ता को अपने हस्ताक्षर करके रसीद वापस लौटा देगा।

4–प्रमुख मेलों अथवा त्योहारों के अवसर पर धारा 293 (1) के अधीन अध्यक्ष महोदय किसी खास स्थान नियुक्त कर सकती है। साथ ही अन्य दिनों की अपेक्षा तहबाजारी शुल्क दुगुना कर सकती है।

5–किसी भी दुकान के सामने तहबाजारी प्राप्त करने के लिए दुकान स्वामी अथवा किरायेदार को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने वाली भूमि की तहबाजारी नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा को अदा नहीं करता है तो फड़ वालों को वहां बैठने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में दुकानदार कोई भेंट अथवा उपहार उससे प्राप्त नहीं कर सकेगा।

6–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा क्षेत्र में जो भी माल बेचा जायेगा उस पर तहबाजारी शुल्क देय होगा, चाहे माल किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बेचा गया हो। साथ ही बाजार में सामान ले जाने वाले कुली को लाईसेंस बनाना होगा। अनुसूची 'क' के अनुसार।

7–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा क्षेत्र में तहबाजारी के अन्तर्गत व्यापारियों को भी लाईसेंस बनाना होगा। लाईसेंस की समय सीमा 31 मार्च तक होगी।

8–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़क पर रेता, रोड़ी, ईंट, पत्थर, सीमेन्ट आदि निर्माण सामग्री उतारने पर भी भवन स्वामी या ठेकेदार द्वारा तहबाजारी शुल्क अनुसूची 'क' के अनुसार देय होगा।

9–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के अन्तर्गत भवन स्वामी द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत कराते समय भवन निर्माण सामग्री की अवर अभियन्ता के आगणन के अनुसार तहबाजारी शुल्क अनुसूची 'क' के अनुसार देय होगा। एकमुश्त धनराशि जमा करनी होगी।

10–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के सीमा अन्तर्गत होर्डिंग, बैनर, व्यावसायिक पोस्टरों पर अनुसूची 'क' के अनुसार तहबाजारी शुल्क देय होगा।

अनुसूची 'क'

तहबाजारी दरें

क्रमांक	विवरण	दर प्रतिदिन
1.	स्थाई दुकानदार प्रति आगे फड़ लगाने का 1 × 4 फिट रुपया 2.00 प्रतिवर्ग फिट	रुपया 8.00
2.	स्थाई दुकान प्रति दुकान आगे फड़ लगाने का	रुपया 2.00 अतिरिक्त वर्ग फिट पर
3.	मुख्य बाजार पर	रुपया 20.00
4.	स्टेशन के करीब अस्थाई फड़ (4 × 5)	रुपया 20.00
5.	अस्थाई फड़ (4 × 5) से अधिक	रुपया 2.00 प्रतिवर्ग फिट
6.	चौकी (5 × 5)	रुपया 20.00
7.	चौकी (5 × 5) से अधिक पर	रुपया 2.00 प्रतिवर्ग फिट
8.	सड़क पर निर्माण सामग्री उतरने पर तहबाजारी शुल्क	रुपया 50.00 प्रति ट्रक
9.	भवन निर्माण सामग्री मानचित्र के साथ शुल्क (अवर अभियन्ता के आगणन के अनुसार)	रुपया 50.00 प्रति ट्रक की दर से
10.	होर्डिंग्स	रुपया 10.00 प्रतिवर्ग फिट
11.	फ्लेक्सी/बैनर/पोस्टर व्यावसायिक	रुपया 10.00 प्रतिवर्ग फिट

दण्ड

यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो वह वैधानिक दण्ड का भागी होगा। जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 में है जो रुपये अर्थदण्ड 1000 (रुपये एक हजार मात्र) तक होगी। यदि अपराध जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध किया जाता रहना सिद्ध हो रुपया 50.00 (पचास रुपया मात्र) तक हो सकता है।

23 अक्टूबर, 2010 ई0

नगर पालिका सम्पत्ति किराया एवं प्रीमियम उपनियमावली

पत्रांक 1286/30–1/नियमावली/2010–11–दिनांक 23 अक्टूबर, 2010–उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा ने अपनी सीमा तहत नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा अपनी भूमि स्वयं निर्मित दुकानों व सम्पत्ति का किराया एवं प्रीमियम राशि निर्धारित करने हेतु उपनियम बनाया है। जिसे नगर पालिका अधिनियम, 1916, की धारा 301 (2) के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।

उपनियम

1–संक्षिप्त नाम व प्रसार–

1–यह उपनियम निर्मित सम्पत्ति व दुकान किराया व प्रीमियम धनराशि निर्धारित उपनियमावली नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा कहलायेगी।

2–यह उपनियमावली नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा द्वारा अपनी सम्पूर्ण सीमा के अन्दर अपनी भूमि व स्वयं निर्मित दुकानों का किराया व प्रीमियम धनराशि निर्धारित करने का अधिकार बाजार भाव से होगा।

3–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा के सीमान्तर्गत नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के दुकानों में कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है। वह किसी अन्य व्यक्ति को उपरोक्तानुसार दुकान का कब्जा देता है तो उसका किराया व प्रीमियम राशि बाजार भाव से निर्धारित करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय को होगा। उपरोक्त निर्धारित प्रीमियम राशि वापस नहीं की जायेगी न ही अन्य किसी में समायोजित की जायेगी।

4–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के दुकान किरायेदार अपनी किराये/प्रीमियम की रसीद एम0ए0सी0 5 में छपी प्रारूप के नियुक्त कर्मचारी से प्राप्त करेगा। कर निरीक्षक/कर अधीक्षक, नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के अन्तर्गत पालिका सम्पत्ति/दुकान किराये का डिमान्ड रजिस्टर तैयार करेंगे। जिसमें रसीद संख्या व पुस्तक संख्या किराया/प्रीमियम दर्ज करेंगे। डिमान्ड रजिस्टर का अवलोकन अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा। डिमान्ड रजिस्टर प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। जिस पर 31 मार्च को कर निरीक्षक/कर अधीक्षक व अधिशासी अधिकारी/ अध्यक्ष महोदय या प्रशासक के हस्ताक्षर होंगे।

5–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के अन्तर्गत पालिका की सम्पत्ति/दुकानों का अनुबन्ध 05 वर्ष में किया जायेगा व पांच वर्ष पूर्ण होने पर 25 प्रतिशत किराया वृद्धि पालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा कर दी जायेगी।

6–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा जिस व्यक्ति को दुकान आवंटित की जायेगी तो वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से कब्जा देता है तो अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक उपरोक्त दुकान को अपने कब्जे पर ले लेगा।

7–नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा निर्मित दुकानों का स्वामित्व नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा का होगा। नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा दुकान जिस व्यक्ति को आवंटित की जायेगी वह दुकान में किसी प्रकार का परिवर्तन, जुड़ाव व मरम्मत करेगा, उससे पूर्व नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा से अनुमति लेनी होगी। अपने खर्चे पर मरम्मत आदि का कार्य करेगा, उपरोक्त खर्चे को नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के किराये पर समायोजन नहीं किया जायेगा।

8–दुकान का मासिक किराया प्रत्येक माह की 07 तारीख तक जमा करना होगा। 07 तारीख को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस में किराये में 05 प्रतिशत छूट पर जमा किया जायेगा। उसके उपरान्त किराये पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लिया जायेगा।

दण्ड

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) अधिकारों का प्रयोग कर निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त उपनियमों का उल्लंघन करने वाला आर्थिक दण्ड से दण्डित होगा। जो एक हजार रुपये तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पचास रुपया प्रतिदिन होगा।

श्रीमती शोभा जोशी,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 23 हिन्दी गजट/273–भाग 8–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।